



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

रिट - ए संख्या - 6181 वर्ष 2026

श्रीमती संतोष अग्रवाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ और 2
अन्य।

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विश्वकांत श्रीवास्तव, अंचल श्रीवास्तव, शशांक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चन्द्र

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकांत श्रीवास्तव को सुना।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय द्वारा नोटिस स्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश चंद्र ने प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है।
3. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 03.06.2026 के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता का संज्ञान लेते हुए स्थगन की अनुमति दी थी तथा प्रकरण को 05.06.2026 को शीर्ष दस प्रकरणों में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को अपने निर्देशों को अद्यतन (अपडेट) करने की अपेक्षा की थी और तब तक कोई कठोर कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया था। इसी पृष्ठभूमि में आज यह प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुआ है।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रारंभ में विकास प्राधिकरण ने तीन अलग-अलग व्यक्तियों की तीन संपत्तियों को एक साथ जोड़कर (क्लब करके) ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया था। जिन संपत्तियों को एक साथ जोड़ा गया था, उनमें से एक संपत्ति श्री प्रमोद गर्ग की थी, जिनका पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। इसी पृष्ठभूमि में आपत्तियां उठाते हुए वर्तमान याची ने अन्य दो व्यक्तियों के साथ एक अपील दाखिल की थी, जो आयुक्त, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन थी। इस बीच कोई अंतरिम संरक्षण प्राप्त न होने के कारण, याची और दो अन्य व्यक्तियों ने इस न्यायालय के समक्ष रिट सी संख्या 9603 वर्ष 2025 (श्रीमती संतोष अग्रवाल व 2 अन्य बनाम अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त लखनऊ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व अन्य) दाखिल की। इस न्यायालय की एकल पीठ ने आदेश दिनांक 24.09.2025 के माध्यम से आक्षेपित आदेश दिनांक 11.07.2025 को इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए रद्द कर दिया था कि प्रमोद गर्ग, जो वर्तमान याची के पति थे, का स्वर्गवास हो चुका था और एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश अकृत/शून्य होता है। विकास प्राधिकरण को मामले का संज्ञान लेने और नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

5. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 24.09.2025 को अपील प्राधिकारी के संज्ञान में लाया गया था, जिन्होंने उस पर विचार करते हुए त्रुटिपूर्ण ढंग से अपील को खारिज कर दिया, जबकि आदेश दिनांक 11.07.2025 को उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही रद्द किया जा चुका था, अतः अपील को दी गई स्वतंत्रता के साथ तदनुसार निस्तारित किया जाना चाहिए था। यद्यपि, उक्त अपील खारिज कर दी गई और अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर उसी आदेश का संज्ञान लेते हुए एक नया नोटिस पारित कर दिया है, जिसे वर्तमान याचिका में आक्षेपित किया गया है, जो इस याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि एक बार जब उच्च न्यायालय द्वारा आदेश निरस्त किया जा चुका था, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण उसी प्रकरण के अंतर्गत पुनरावृत्ति आदेश (रिपीट ऑर्डर) पारित नहीं कर सकता था, अपितु सही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश पारित किया जा सकता था, जो नहीं किया गया है।

7. लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश चंद्र के अधिकार के अंतर्गत उपस्थित अधिवक्ता श्री आदि निगम ने टेलीफोनिक निर्देशों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त आदेश अस्थिर (बनाए रखने योग्य नहीं) है क्योंकि यह उच्च न्यायालय द्वारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पारित आदेश के विपरीत/विरोध में पारित किया गया है और उन्होंने स्वतंत्रता मांगी कि वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखने के पश्चात नए सिरे से आदेश पारित करने की अनुमति दी जाए।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात तथा विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपर्युक्त कथन को संज्ञान में लेते हुए, इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2026 उस तरीके से पारित नहीं किया जा सकता था जिस तरीके से यह किया गया है, विशेष रूप से आदेश दिनांक 24.09.2025 के प्रकाश में। एक बार जब उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 11.07.2025 को रद्द कर दिया था, तो अपील प्राधिकारी को अपील खारिज नहीं करनी चाहिए थी और मात्र अपील खारिज करने से आदेश दिनांक 11.07.2025 का पुनरुज्जीवन (रिवाइवल) नहीं होगा, जिसे रद्द कर दिया गया था।

9. उपर्युक्त तकनीकी त्रुटि के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16.05.2026 रद्द किया जाता है। यद्यपि, विकास प्राधिकरण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के पश्चात नया आदेश पारित करने सहित आवश्यक कदम उठाने की स्वतंत्रता उपलब्ध रहेगी।

जून 5, 2026

मोहित

(न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला) (न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।